निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 माघ 1939 (श0) (सं0 पटना 134) पटना, मंगलवार, 13 फरवरी 2018

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

13 फरवरी 2018

सं॰ बी1-3-19/2018-07—बिहार विधान समा, 2018 के उप निर्वाचन के अवसर पर 216-जहानाबाद विधान समा निर्वाचन क्षेत्र एवं 205-ममुआ विधान समा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन से संबंधित मारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-100/पूर्व अनु.-1/बिहार-वि.स./1/2017 दिनांक 13.02.2018 एवं अधिसूचना संख्या-100/पूर्व अनु.-1/बिहार-वि.स./2/2017 दिनांक 13.02.2018 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

> बिहार–राज्यपाल के आदेश से, सोहन कुमार ठाकुर, अपर सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110001, तारीख 13 फरवरी, 2018/24 माघ, 1939(शक)

संव 100/पूर्वअनु—1/बिहार—वि.स./1/2017— यतः बिहार राज्य की विधान समा में 216—जहानाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री मुंद्रिका सिंह यादव का निधन हो जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 से उनका स्थान रिक्त हो गया है; और

यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप--निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वाराः--

(अ) बिहार राज्य से उक्त 216-जहानाबाद विधान समा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 16 मार्च, 2018 (शुक्रवार) से पूर्व उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधानसमा में हई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में--

(ক)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख	:	20 फरवरी, 2018 (मंगलवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	:	21 फरवरी, 2018 (बुधवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	:	23 फरवरी, 2018 (शुक्रवार)
(ঘ)	वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	:	11 मार्च, 2018 (रविवार)
(ड.)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	:	१६ मार्च, २०१८ (शुक्रवार)
	ਅਸੈਹ		

नियत करता है; और

(इ) 07:00 बजे पूर्वाहन से 05:00 बजे अपराहन तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से, सुमित मुखर्जी, प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001. Dated 13th February, 2018/Magha, 1939 (Saka) No. 100/ES-1/BR-HP/1/2017—WHEREAS, the seat of Sh. Mundrika Singh Yadav, in the

Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from 216-Jehanabad Assembly Constituency in the State, has become vacant on 24th October, 2017 by reason of his death; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy ;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

- (A) calls upon the said 216-Jehanabad Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 16th March, 2018 (Friday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the said Legislative Assembly of the State;
- (B) appoints, with respect to the said election:-
 - (a) the 20th February, 2018 (Tuesday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 21st February, 2018 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;
 - (c) the 23rd February, 2018 (Friday), as the last datc for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 11th March, 2018 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - (e) the 16th March, 2018 (Friday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) fixes the hours from 07:00 A.M to 05:00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order, SUMIT MUKHERJEE, PRINCIPAL SECRETARY, ELECTION COMMISSION OF INDIA.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, तारीख 13 फरवरी, 2018/24 माघ, 1939(शक)

सं॰ 100/पूर्वअनु--1/बिहार--वि.स./2/2017- यतः बिहार राज्य की विधान सभा में 205--भभुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री आनन्द भूषण पाण्डेय का निधन हो जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 30 नवम्बर, 2017 से उनका स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है:

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वाराः—

(अ) बिहार रार्ज्य से उक्त 205-ममुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 18 मार्च, 2018 (शुक्रवार) से पूर्व उक्त अधिनियम के और तर्दधीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधानसमा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में---

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख	:	20 फरवरी, 2018 (मंगलवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	:	21 फरवरी, 2018 (बुधवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	:	23 फरवरी, 2018 (शुक्रवार)
(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	:	11 मार्च, 2018 (रविवार)
(ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	:	16 मार्च, 2018 (शुक्रवार)
नियत करता है; और		

(इ) 07:00 बजे पूर्वाहन से 05:00 बजे अपराहन तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से, सुमित मुखर्जी, प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001. Dated 13th February, 2018/Magha, 1939 (Saka)

No. 100/ES-1/BR-HP/2/2017— WHEREAS, the seat of Sh. Anand Bhushan Pandey, in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from 205-Bhabua Assembly Constituency in the State, has become vacant on 30th November, 2017 by reason of his death; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

- (A) calls upon the said 205- Bhabua Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 16th March, 2018 (Friday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the said Legislative Assembly of the State;
- (B) appoints, with respect to the said election:-
 - (a) the 20th February, 2018 (Tuesday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 21st February, 2018 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;
 - (c) the 23rd February, 2018 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 11th March, 2018 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - (e) the 16th March, 2018 (Friday), as the date before which the election shall be completed; and

बिहार गजट (असाधारण), 13 फरवरी 2018

(C) fixes the hours from 07:00 A.M to 05:00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order, SUMIT MUKHERJEE, PRINCIPAL SECRETARY, ELECTION COMMISSION OF INDIA.

• * *

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 134-571+50-डी0टी0पी0। Website: <u>http://egazette.bih.nic.in</u>

4